कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001

Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551

फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 1465 /XXV–12(1–5)/2008 देहरादूनः दिनांक 03 अगस्त, 2018.

सेवा में,

श्री पंकज गुप्ता,
कार्यालय–547 बनखण्डी ग्राम, ऋषिकेश,
जिला–देहरादून।

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त लोक सूचना अधिकारी/अनुसचिव कार्यालय, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून के पत्र संख्या–558/रा.नि.आ.–1/2436/2018 दिनांक 26 जुलाई, 2018 जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना निम्न विवरणानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है:–

बिन्दु संख्या–01	भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या–76/उत्तराखण्ड विधान सभा/2012(6) दिनांक 07–12–2016 द्वारा निरर्हित घोषित करने संबंधी आदेश कुल 06 पृष्ठ प्रमाणित संलग्न है।
बिन्दु संख्या–02	बिन्दु संख्या–2 के क्रम में आवेदन, अपील या अन्य दस्तावेज सीधे भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत किये जाते है।
बिन्दु संख्या–03	आवेदन/अपील सीधे भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किये जाने है।उक्त में की गई कार्यवाही से संबंधित कुल 04 पृष्ठ प्रमाणित संलग्न है।
बिन्दु संख्या–04	बिन्दु संख्या– 2 में संलग्न है।
बिन्दु संख्या–05	बिन्दु संख्या– 3 में संलग्न है।

संलग्न–यथोपरि।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते है:–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

भवदीय,

B.S. Rawat

(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

rti 2017

TO BE PUBLISHED IN THE NEXT ISSUE OF
UTTARAKHAND GOVERNMENT GAZETTE.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NirvachanSadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001.

Dated- 7th December, 2016
16 Pausha, 1938 (Saka)

Addl. C.E.O

ORDER

No. 76/UKD-LA/2012(6):- Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the GeneralElection to the Legislative Assembly, 2012in Uttarakhand as specified in Column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name, has failed to lodge an account of election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Order made there under; as shown in column (5) of the said Table; and

(राधा रतूड़ी)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड
8-12-16

Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order:-

श्री रावत
13/12/16
S.O

TABLE

S. No.	Particulars of Election	No. and Name of Assembly Constituency	Name and Address of Contesting Candidate	Reason for Disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Legislative Assembly – 2012	16-VikasNagar	InamBabu, H.No.126, Vill-Jivengarh, PO-Vikashnagar, Dehradun, Uttarakhad.	Failure to lodge the accounts of election expenses
2.	Do	Do	Jasbeer Singh, Vill-Ajeet Nagar, PO-Babugarh, Vikasnagar, Dehradun, Uttarakhand.	Do
3.	Do	Do	Suhail Pasha, Vill-Jivengarh, PO-Ambadi, Vikashnagar, Dehradun, Uttarakhand.	Do
4.	Do	Do	HaridassKataria, Vill-NayaGaon, PO-Jassowala, Vikasnagar, Dehradun, Uttarakhand.	Do

प्रमाणित
B.S. Rawat
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या० मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

5.	General Election to the Legislative Assembly – 2012	16-VikasNagar	Surat Singh, Vill-Bhojawala, PO-Paschmiwala, Vikasnagar, Dehradun, Uttarakhand.	Failure to lodge the accounts of election expenses in the manner required by law
6.	General Election to the Legislative Assembly – 2012	17-Sahaspur	Amit, Rajoli, P.o.Horawala, Dehradun, Uttarakhand.	Failure to lodge the accounts of election expenses
7.	Do	Do	Irfan Khan, H.No.1481, Bharampurichowk, Uttarakhand.	Do
8.	Do	Do	ZamilHasan, Dakarani, Dehradun, Uttarakhand.	Do
9.	Do	Do	InamBabu, H.No.124, Jivangarh, Dehradun, Uttarakhand.	Do
10.	Do	Do	Riyaz Ahmed, Gram Bhuddi, Dehradun, Uttarakhand.	Do
11.	Do	Do	LaxmiAgarwal, Gram Selaqui, Central hope town, Dehradun, Uttarakhand.	Do
12.	Do	Do	Sahab Singh Pundir, Flat No-103, Green view apartment, SahasarDhara road, Dehradun, Uttarakhand.	Failure to lodge the accounts of election expenses in the manner required by law
13.	Do	Do	Gulzar Ahmad, BhuddiKarbarigrant, Dehradun, Uttarakhand.	Do
14.	Do	Do	Rakesh, Gram East hope town, Dehradun, Uttarakhand.	Do
15.	General Election to the Legislative Assembly – 2012	18-Dharampur	Saleem Ahmed, Vill& PO-MehuwalaMafi, Dehradun, Uttarakhand.	Failure to lodge the accounts of election expenses in the manner required by law
16.	Do	Do	Jagveer Singh, H.No-586, Lodhan Cottage, West Canal Road, Sewlakalan, Dehradun, Uttarakhand.	Do
17.	Do	Do	TarunAhuja, 105-Tyagi Road Dehradun, Uttarakhand.	Do

प्रमाणित

B. S. Rawat
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या० मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

18.	General Election to the Legislative Assembly – 2012	18-Dharampur	Md. Tahir, 61-Reetha Mandi, Dehradun, Uttarakhand.	Failure to lodge the accounts of election expenses in the manner required by law
19.	Do	Do	GopalPuri, 25/38, KhadriMohalla, Dehradun, Uttarakhand.	Failure to lodge the accounts of election expenses
20.	Do	Do	ManjoorHasan, Vill& PO-MehuwalaMafi, Dehradun, Uttarakhand.	Do
21.	General Election to the Legislative Assembly – 2012	Do	Suresh Singh Rana, 31/34, Netaji Street, Dehradun, Uttarakhand.	Do
22.	Do	19-Raipur	PankajChhetri, H.No-402, Nehrugram lower, Uttarakhand.	Failure to lodge the accounts of election expenses
23.	Do	Do	Mohammad.Sattar, 70 Nalapani Road, Dehradun, Uttarakhand.	Do
24.	Do	Do	Roop Chand, 116 VaniVihar, Dehradun, Uttarakhand.	Do
25.	Do	Do	Shiv SagarThapa, Inter College Road, Nehrugram, Uttarakhand.	Do
26.	Do	Do	Bhupendra Singh, 197, Shivpuri colony, Adhoiwala Road, Dehradun, Uttarakhand.	Do
27.	Do	Do	Smt. Anuradha, 283, Sunderwala PO-Raipur, Uttarakhand.	Do
28.	Do	Do	Shanti Prasad Bijalwan, Rajeswar Nagar Phase-1, Sahastradhara Rd, Dehradun, Uttarakhand.	Do
29.	Do	Do	Manoj Kumar, L.No-8, Indraprashth colony Ring Road, PO-Nehrugram, Uttarakhand.	Do
30.	Do	Do	RajniRawat, 236/233, Chukkuwala, Ansik Ward No, Uttarakhand.	Failure to lodge the accounts of election expenses in the manner required by law
31.	Do	Do	Ajay Sood, 212/338, Old Dalanwala, Dehradun, Uttarakhand.	Do

B. S. Rawat

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

32.	General Election to the Legislative Assembly – 2012	19-Raipur	Maya Mohan Lakhera, 1/12, Indra Colony, Dehradun, Uttarakhand.	Failure to lodge the accounts of election expenses in the manner required by law
33.	Do	Do	Mohan Singh Rawat, Vijay Bhawan, Sunderwala, Raipur, Dehradun, Uttarakhand.	Do
34.	Do	Do	Rajendra Prasad Bhattkoti, Inderpur, PO-Badripur Defence colony, Dehradun, Uttarakhand.	Do
35.	Do	Do	Sushilkumar, 19, Balbir Road, Dehradun, Uttarakhand.	Do
36.	General Election to the Legislative Assembly – 2012	20-Rajpur Road(SC)	Tanveer Singh, 92, Race course, Dehradun, Uttarakhand.	Failure to lodge the accounts of election expenses in the manner required by law
37.	Do	Do	SapnaSonker, A-404, Windlas Residency, Curzon Road, Dehradun, Uttarakhand.	Do
38.	Do	Do	BaleshBawania, 201/297, KhurburaMohalla, Dehradun, Uttarakhand.	Do
39.	Do	Do	Sanjeev Kumar, Tapovan Enclave, AmwalaTarla, Dehradun, Uttarakhand.	Do
40.	General Election to the Legislative Assembly – 2012	21-Dehradun Cantt.	Beer Singh Rawat, Lower NehrugramKishanvihar, P.O-Mahkampur, Dehradun, Uttarakhand.	Failure to lodge the accounts of election expenses
41.	Do	Do	Pt. MadanGopalChove, 204/181, Guru road, New Basti, Ghandhi Gram, Dehradun, Uttarakhand.	Do
42.	Do	Do	Rahul Chauhan, 1/149/34 Bindal Road, Khurbuda, Dehradun, Uttarakhand.	Do
43.	Do	Do	Bijender Singh Thapa, H.No-40 Old H.No- 68/60 Idgah, Kumar Mandi, Dehradun, Uttarakhand.	Do

प्रतिलिपि

B. S. Rawat
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या० मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

44.	General Election to the Legislative Assembly – 2012	21-Dehradun Cantt.	Noopur Gupta, 36 Vijay Colony New Cantt Road, Dehradun, Uttarakhand.	Failure to lodge the accounts of election expenses in the manner required by law
45.	General Election to the Legislative Assembly – 2012	22- Mansoori	Shiv Singh Rawat, EktaVihar lane No-1 Sahastradhara Road Dehradun, Uttarakhand.	Failure to lodge the accounts of election expenses
46.	Do	Do	Amit Singh, 303, VijaypurHathibadkala, Dehradun, Uttarakhand.	Do
47.	Do	Do	Pt. Manoj Sharma, 11/4, VivekviharJakhan, Dehradun, Uttarakhand.	Failure to lodge the accounts of election expenses in the manner required by law
48.	General Election to the Legislative Assembly – 2012	23-Doiwala	BhargavChandola, Raj RajesvariVihar, Dehradun, Uttarakhand.	Failure to lodge the accounts of election expenses
49.	Do	Do	Heema Bora, Vill-Simlash Grant Nagal, Jawalapur, Doiwala, Uttarakhand.	Do
50.	Do	Do	Jitendra Mohan Sharma, 202 Panditwari, Dehradun, Uttarakhand.	Do
51.	Do	Do	Ramesh Kothiyal, Vill-Manshadevi, PO-Veerbhadra, Rishikesh, Uttarakhand.	Do
52.	Do	Do	Vejendra Singh Chauhan, Vill- Kanarwala, Bhaniyawala,Doiwala, Uttarakhand.	Failure to lodge the accounts of election expenses in the manner required by law
53.	General Election to the Legislative Assembly – 2012	24-Rishikesh	VishwanathRaturi, Chaktunuwala,Doiwala, Uttarakhand.	Failure to lodge the accounts of election expenses
54.	Do	Do	Anil Kalura, Vill& PO-Chiddarwala, Uttarakhand.	Failure to lodge the accounts of election expenses in the manner required by law

प्रमाणित,

B.S. Rawat

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या० मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

55.	General Election to the Legislative Assembly – 2012	24-Rishikesh	Deep Sharma, 16-D, TilakMarg, Rishikesh, Uttarakhand.	Failure to lodge the accounts of election expenses in the manner required by law
56.	Do	Do	YogeshkumarUniyal, 120, DudhpaniAmit Gram Gumaniwala, Rishikesh, Uttarakhand.	Do
57.	Do	Do	Ramsharan Bhatt, 178-Pargati vihar, Rishikesh, Present Address Near National highway Nepali Farm tirha, KhairikhurdSyampur, Uttarakhand.	Do
58.	Do	Do	Sanjay Pokhriyal, H.No-48, Gahorimafi, Raiwala, Uttarakhand.	Do

प्र आ/लि/ल

B.S. Rawat
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या० मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

By Order,

(RAHUL SHARMA)

SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA

स्पष्टीकरण---इस धारा में----

(क) "जमाखोरी या मुनाफाखोरी के निवारण के लिए उपबंध करने वाली विधि" से कोई ऐसी विधि या विधि का बल रखने वाला कोई ऐसा आदेश, नियम या अधिसूचना अभिप्रेत है जो निम्नलिखित के लिए उपबंध करती है----

(i) किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण का विनियमन,

(ii) उस कीमत का नियंत्रण जिस पर कोई आवश्यक वस्तु खरीदी या बेची जा सके,

(iii) किसी आवश्यक वस्तु के अर्जन, कब्जे, भंडारकरण, परिवहन, वितरण, व्ययन, उपयोग या उपभोग का विनियमन,

(iv) किसी ऐसी आवश्यक वस्तु के विधारण का प्रतिषेध, जो मामूली तौर पर विक्रय के लिए रखा जाता है ;

(ख) "ओषधि" का वह अर्थ है जो उसे ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) में समनुदिष्ट है :

(ग) "आवश्यक वस्तु" का वह अर्थ है जो उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) में समनुदिष्ट है ;

(घ) "खाद्य" का वह अर्थ है जो उसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) में समनुदिष्ट है ।

[1][**8क. भ्रष्ट आचरण के लिए निरर्हता**----(1) धारा 99 के अधीन किसी आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण के दोषी ठहराए गए प्रत्येक व्यक्ति का मामला, [2][ऐसे आदेश के प्रभावशील होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर यथाशक्य शीघ्र,] ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे केन्द्रीय सरकार उस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, इस प्रश्न का अवधारण करने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा कि क्या ऐसा व्यक्ति निरर्हित किया जाए और यदि किया जाए तो कितनी कालावधि के लिए :

परन्तु वह कालावधि जिसके लिए कोई व्यक्ति इस उपधारा के अधीन निरर्हित किया जा सकेगा, किसी भी दशा में उस तारीख से छह वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसको धारा 99 के अधीन उसके संबंध में किया गया आदेश प्रभावशील होता है ।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम की धारा 8क के अधीन, जैसी कि वह निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 40) के आरम्भ के ठीक पहले थी, निरर्हित हो गया है, यदि ऐसी निरर्हता की कालावधि समाप्त नहीं हो गई है तो, उक्त कालावधि के शेष भाग के लिए ऐसी निरर्हता के हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति को अर्जी प्रस्तुत कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) में वर्णित किसी प्रश्न या उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत की गई किसी अर्जी पर विनिश्चय देने से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से किसी ऐसे प्रश्न और अर्जी पर राय लेगा और उस राय के अनुसार कार्य करेगा ।]

9. भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिए पदच्युत होने पर निरर्हता----(1) वह व्यक्ति, जो भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य की सरकार के अधीन पद धारण करते हुए भ्रष्टाचार के कारण या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत किया गया है, ऐसी पदच्युति की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निकाला गया इस भाव का प्रमाणपत्र कि कोई व्यक्ति भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन पद धारण करते हुए भ्रष्टाचार के कारण या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत किया गया था या नहीं, उस तथ्य का निश्चायक सबूत होगा :

परन्तु इस भाव का कोई भी प्रमाणपत्र कि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत किया गया है, तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि उक्त व्यक्ति को सुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो ।

9क. सरकार के साथ की गई संविदाओं आदि के लिए निरर्हता----कोई भी व्यक्ति निरर्हित होगा यदि और जब तक कोई ऐसी संविदा विद्यमान है जो उसने समुचित सरकार के साथ अपने व्यापार या कारबार के अनुक्रम में उस सरकार को माल का प्रदाय करने के लिए या उस सरकार द्वारा उपक्रांत किन्हीं संकर्मों के निष्पादन के लिए की है ।

स्पष्टीकरण----इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां कि कोई संविदा उस व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा वह समुचित सरकार के साथ की गई थी, पूर्णतया निष्पादित कर दी गई है, वहां उस संविदा के बारे में केवल इस तथ्य के कारण कि सरकार ने उस संविदा के अपने भाग का पूर्णतः या भागतः पालन नहीं किया है यह नहीं समझा जाएगा कि वह विद्यमान है ।

10. सरकारी कम्पनी के अधीन पद के लिए निरर्हता----कोई भी व्यक्ति निरर्हित होगा यदि और जब तक वह (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) किसी ऐसी कम्पनी या निगम का जिसकी पूंजी में समुचित सरकार का पच्चीस प्रतिशत से अन्यून अंश है, प्रबंध अभिकर्ता, प्रबंधक या सचिव है ।

---

[1] 1975 के अधिनियम सं0 40 की धारा 2 द्वारा धारा 8क के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 2009 के अधिनियम सं0 41 की धारा 4 द्वारा (1-2-2010 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

प्रमाणित
B.S. Rawat
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

[1][10क. **निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफलता के कारण निरर्हता**---यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति--

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है ; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

11. **निरर्हता की कालावधि को हटाना या कम करना**---निर्वाचन आयोग उन कारणों के लिए, जो अभिलिखित किए जाएंगे इस अध्याय के अधीन [2][(सिवाय धारा 8क) के अधीन,] की किसी निरर्हता को हटा सकेगा या ऐसी किसी निरर्हता की कालावधि को कम कर सकेगा ।

अध्याय 4----मत देने के लिए निरर्हताएं

[1][11क. **दोषसिद्धि और भ्रष्ट आचरणों से उद्भूत निरर्हता**----[3][(1)] यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्----

[4]*** भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 171ङ या धारा 171च अथवा इस अधिनियम की धारा 125 या धारा 135 के अधीन या धारा 136 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है, [5]***

[6]* * * * * *

तो वह, दोषसिद्धि की तारीख से या उस तारीख से जिसको वह आदेश प्रभावशील होता है, छह वर्ष की कालावधि के लिए, किसी भी निर्वाचन में मत देने से निरर्हित होगा ।

[7][(2) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रपति के किसी आदेश द्वारा किसी कालावधि के लिए निरर्हित व्यक्ति, किसी निर्वाचन में मत देने से उसी कालावधि के लिए निरर्हित होगा ।

(3) किसी व्यक्ति द्वारा संसद् के किसी सदन का या किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने या रहने के लिए किसी निरर्हता की बाबत धारा 8क की उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत की गई किसी अर्जी पर राष्ट्रपति का विनिश्चय, जहां तक हो सके इस अधिनियम की धारा 11क की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन, जैसा कि वह निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 40) के प्रारम्भ के ठीक पहले था, किसी निर्वाचन में मत देने के लिए उसके द्वारा उपगत निरर्हता की बाबत, उसी प्रकार लागू होगा मानो ऐसा विनिश्चय मत देने के लिए उक्त निरर्हता की बाबत विनिश्चय हो।]

[1][11ख. **निरर्हताओं का हटाया जाना**-----निर्वाचन आयोग उन कारणों के लिए, जो अभिलिखित किए जाएंगे, [8][धारा 11क की उपधारा (1) के अधीन किसी निरर्हता] को हटा सकेगा ।]

[9][भाग 3

साधारण निर्वाचनों की अधिसूचना

12. **राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए अधिसूचना**-----राज्य सभा के उन सदस्यों के स्थानों को भरने के प्रयोजन के लिए, जो अपनी पदावधि के अवसान के पश्चात् निवृत्त हो रहे हैं, राष्ट्रपति ऐसी तारीख या तारीखों को, जिसकी सिफारिश निर्वाचन आयोग द्वारा की जाए, भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक या अधिक अधिसूचनाओं द्वारा हर एक संपृक्त राज्य को, यथास्थिति, विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से या निर्वाचकगण के सदस्यों से अपेक्षा करेगा कि वे इस अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार सदस्य निर्वाचित करें :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी अधिसूचना उस तारीख से तीन मास से अधिक पूर्व न निकाली जाएगी जिस तारीख को निवृत्त होने वाले सदस्यों की पदावधि का अवसान होना है ।

---

1 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 20 द्वारा (14-12-1966 से) अन्तःस्थापित ।
2 1975 के अधिनियम सं0 40 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित ।
3 1975 के अधिनियम सं0 40 की धारा 4 द्वारा धारा 11क को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
4 1978 के अधिनियम सं0 38 की धारा 3 और द्वितीय अनुसूची द्वारा "(क)" अक्षर और कोष्ठकों का लोप किया गया ।
5 1978 के अधिनियम सं0 38 की धारा 3 और द्वितीय अनुसूची द्वारा "या" शब्द का लोप किया गया।
6 1975 के अधिनियम सं0 40 की धारा 4 द्वारा खंड (ख) का लोप किया गया।
7 1975 के अधिनियम सं0 40 की धारा 4 द्वारा अन्तःस्थापित ।
8 1975 के अधिनियम सं0 40 की धारा 5 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
9 1956 के अधिनियम सं0 27 की धारा 7 द्वारा भाग 3 (धारा 12 से धारा 18) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

प्रमाणित

B. S. Rawat

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724, 2712014

संख्या 1683 / XXV–25–1(1–4) / 2008 देहरादून : दिनांक 29 दिसम्बर, 2016

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
टिहरी–गढ़वाल एवं देहरादून।

विषयः– **भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश सं0–76 / उत्तराखण्ड–वि0स0 / 14 / 2016, आदेश सं0–76 / उत्तराखण्ड–वि0स0 / 17 / 2016, आदेश सं0–76 / उत्तराखण्ड–वि0स0 / 19 / 2016, एवं आदेश सं0–76 / उत्तराखण्ड–वि0स0 / 20 / 2016, NS-II दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 का राज्य के असाधारण गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषण के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–76 / UKD-LA / 2016 / NS-II दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 की धारा 11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश संख्या–76 / UKD-LA / 2016 / NS-II दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 सूची में निम्न व्यक्तियों की अधिरोपित निरर्हता को एतद्वारा हटाने का निर्णय लिया गया हैः–

Sl No	No& Name of the AC	Name of the Candidates
1-	14-Dhanolti	Sh. Yeshveer Arya
2-	17- Sahaspur	Smt. Laxmi Agarwal
3-	17- Sahaspur	Sh. Gulzar Ahmad
4-	17- Sahaspur	Sh. Sahab Singh Pundir
5-	17- Sahaspur	Sh. Rakesh
6-	19- Raipur	Rajni Rawat
7-	20-Rajpur Road (SC)	Sh. Tanveer Singh

अतः उक्त सन्दर्भित आदेशों की हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि आयोग के उक्त आदेश को उल्लिखित सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित करते हुए आदेशों की एक–एक प्रति सर्वसाधारण की जानकारी हेतु नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने का कष्ट करें।

संलग्नकः—यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

पृ0 संख्या –1683 / XXV–25–1(1–4) / 2008, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टिहरी–गढ़वाल एवं देहरादून को 2. समस्त जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, (टिहरी–गढ़वाल एवं देहरादून को छोड़कर) उत्तराखण्ड को आयोग के उक्तानुसार आदेशो की प्रति इस आशय से प्रेषित कि सूचनार्थ प्रेषित।

2. सहायक निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उल्लिखित व्यक्तियों को आयोग द्वारा निरहर्ता हटाये जाने के सम्बन्ध में सूचना निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः—यथोपरि।

प्रकाशित

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

OIC

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

By Speed Post/By Email

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110 001

No. 76/UKD-LA/ 2016/NS-II Dated: 26th December, 2016

To,

The Chief Electoral Officer,
Uttarakhand
Dehradun.

Subject: General Election to the Legislative Assembly, of Uttarakhand State, 2012- 14-Dhanolti,17-Sahaspur, 19-Raipur, & 20-Rajpur Road(SC) Assembly Constituencies – Removal of Disqualification Order – Reg.

Sir,

I am directed to forward herewith copy of each of the Commission's order No. 76/UKD-LA/14/2016, 76/UKD-LA/17/2016, 76/UKD-LA/19/2016 76/UKD-LA/20/2016 all dated 26th December, 2016 regarding removal of disqualification of the Candidate mentioned below in the table and to request that the same may be got published in the next issue of State Gazette and three copies thereof be forwarded to the Commission as soon as the same is published.

Sl.No	No & Name of the AC	Name of the Candidates
1.	14- Dhanolti	Sh. Yeshveer Arya
2.	17- Sahaspur	Smt. Laxmi Agarwal
3.	17- Sahaspur	Sh. Gulzar Ahmad
4.	17- Sahaspur	Sh. Sahab Singh Pundir
5.	17- Sahaspur	Sh. Rakesh
6.	19-Raipur	Rajni Rawat
7.	20- Rajpur Road (SC)	Sh. Tanveer Singh

This has the approval of the Election Commission of India.

श्री रावत

Yours faithfully,

(KUMAR RAJEEV)
UNDER SECRETARY

Copy to:

1. District Election Officers of District Dehradun and Tehri Garhwal,Uttarakhand with two spare copies of the order the request that one copy of the order may be exhibited on the notice board. The person concerned may please be informed of the contents of the Commission's order (By Speed Post)
2. Reference and Court Case Section (with Hindi version of the order)
3. CEMS-1 &II
4. Concerned candidates.
5. Concerned file.

28/12/16

S.O

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या० मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

(KUMAR RAJEEV)
UNDER SECRETARY

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

योजना भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून –248001

Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in
election09@gmail.com

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724, 2712014

संख्या– 1667 /XXV – 48 / 2011 देहरादून : दिनांक 28 दिसम्बर, 2016

IMPORTANT-URGENT

सेवा में,

सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड़
नई दिल्ली।

विषयः– विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2012, नियमानुसार निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल न करने के कारण निरर्हित हुए व्यक्तियों के द्वारा अपनी निरर्हता समाप्त किए जाने के संबंध में प्रत्यावदेन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–76/UKD-LA /2012/NS-II दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आयोग के आदेश दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 के द्वारा निरर्हित किए गए व्यक्तियों में से कतिपय व्यक्तियों द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रत्यावेदन के अनुसार उनकी निरर्हता समाप्त किए जाने संबंधी प्रकरणों के तत्काल निस्तारण हेतु नियत प्रारूप पर विस्तृत अंतिम आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश निर्गत किए गए थे।

2– आयोग के उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून के पत्र संख्या–948 दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून की आख्या/नियत प्रारूप पर प्रस्तुत सूचना के आलोक में श्री दीप शर्मा केप्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए तदनुसार निस्तारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

प्रमाणित प्रति
B.S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी
कार्या. मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

E-Mail ID dmcumdeoddn@gmail.com
Tele/Fax 0135-2624216
Toll Free No. 0135-1950

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

सेवा में,

प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 948 /25–24/2014 दिनांक 27 दिसम्बर, 2016

विषय– उत्तराखण्ड विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन 2012– नियमानुसार निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल न करने के कारण निरर्हित हुए व्यक्तियों के द्वारा अपनी निरर्हता समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन।

महोदया,

उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 76/UKD-LA/2012/NS-II दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 के अनुपालन में अवगत कराना है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2012 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा नियमानुसार निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल न करने के कारण निरर्हित किये गये हैं। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि आयोग से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नोटिस सम्बन्धित तहसील कार्यालय के माध्यम से तामिल करवाये जाते हैं। बार–बार स्मरण कराने के उपरान्त भी नोटिस तामिली की प्राप्ति प्राप्त न होने के कारण, तहसील कार्यालयों में अभ्यर्थियों के नोटिस की छाया प्रतियां पुनः उपलब्ध करवाने के उपरान्त नोटिस बिलम्ब से तामिल हुये हैं, भविष्य में इस तरह की पुर्नावृत्ति नहीं होगी तथा समयान्तर्गत नोटिसों की तामिली करवा दी जायेगी। सभी निम्न अभ्यर्थि से अभिलेख प्राप्त कर, जांचोपरान्त कमियां पूर्ण करवाकर सूचना नियत प्रारूप पर तैयार कर संलग्न प्रेषित है। कृपया सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये आवश्यक कार्यवाही कर निस्तारित करने का कष्ट करें।

विधान सभा की संख्या एवं नाम	अभ्यर्थी का नाम
24–ऋषिकेश	1. दीप शर्मा

भवदीय,

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(हरबीर सिंह)
अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्र.)
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

प्रमाणित प्रति
B. S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी
कार्या. मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

SUMMARY REPORT OF DEO FOR EACH CONSTITUENCY ON LODGING OF ELECTION EXPENSES ACCOUNTS BY CANDIDATES

a. No and name of Assembly Constituency – 24 Rishikesh
b. State and District – UTTRAKHAND DEHRADUN
c. Last date of lodging accounts- 06-04-2012

d. Total No. of contesting candidate - 19
e. Date of declaration of result of election- 06-03-2012
f. Name of the elected candidate – Sri Premchand Aggarwal

S. No	Name of the Candidate & Party Affiliation	Due date of lodging of account	Date of lodging of accounts by the candidate	Whether lodged in the prescibed format (Yes or No)	Whether lodged in the manner required by law (Yes or No)	Grand Total of the expenses incurred/authorized by the candidate/ agent (as mentioned in Part-II of abstract Statement)	Whether the DEO agrees with the amount shown by the candidate against all items of expenditure	Total expenses incurred by the Party (As reported in Part III of abstract Statement)		Total expenses incurred by the other/entities as reported in Part-III of Abstract		Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-	Deep Sharma	06-04-2012	07-04-2012	Yes	Yes	5,51,121.00	Yes	Nil	Nil	Nil	Nil	

प्रमाणित प्रति
B. S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी
कार्या. मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

Dy. District Election Officer
DEHRA DUN.

By Speed Post

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

No.76/UKD-LA/2012/NS-II **Dated: 26th December, 2016.**

To,

The Chief Electoral Officer,
Uttarakhand,
Dehradun.

Subject: General Election to the Uttarakhand Legislative Assembly, 2012-Accounts of Election Expenses in respect of various Assembly Constituency of Dehradun Distt.-Appeal from the Candidate for Removal of Disqualification order dated 07-12-2016-reg.

Madam,

I am directed refer to the reports furnished by the District Election Officer, Dehradun time to time, on the subject cited, and to state that the Commission has observed that serving of Commission's show cause notice issued earlier to the erring candidates of various assembly constituency of Dehradun district was badly delayed. The Commission has directed to ascertain reasons for such delay from the DEO's concerned.

I am also directed to enclose herewith a copy of appeal/representation of each of the following candidates alongwith enclosures with the request to scrutiny the account by the DEO concerned and submit the comments urgently so that further necessary action may be taken by the Commission.

SL.No	No and Name of the Assembly Constituency	Name of the Candidate S/Sh./Smt
1.	23- Doiwala (By Election 2014)	1.Raju Mourya
2.	24-Rishikesh	1.Deep Sharma

प्रमाणित प्रति

B. S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी
कार्या. मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

Yours faithfully

(KUMAR RAJEEV)
UNDER SECRETARY

Copy to DEO, Dehradun

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

Rec'd 26/7/18

पत्रांक : 558/ रा.नि.आ.-1/2436/2018

दिनांक 26/7/2018

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

लोक सूचना अधिकारी/
अनुभाग अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

श्री पंकज गुप्ता, कार्यालय–547 बनखण्डी ग्राम, ऋषिकेश, जिला–देहरादून का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 10.07.2018 जो वरिष्ठ शोध एवं सन्दर्भ अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, विधान सभा, सचिवालय, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–2288 दिनांक 19 जुलाई, 2018 द्वारा आंतरित होकर राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 24.07.2018 को प्राप्त हुआ है, की छायाप्रति (संलग्नक सहित) आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अनुरोध–पत्र में मांगी गयी सूचना के **बिन्दु संख्या–01, 02, 03, 05** तथा **बिन्दु संख्या–04** की आंशिक (विधान सभा निर्वाचन से संबंधित) सूचना जो आपके विभाग से संबंधित है। कृपया अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
26/7/18
(बी0पी0कोठारी)
अनु सचिव/
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0–7534820707

संख्या– 558 /रा0नि0आ0–1/2436/2018 तद्दिनांक।(पंजीकृत)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. वरिष्ठ शोध एवं सन्दर्भ अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड।
2. श्री पंकज गुप्ता, 679 बनखण्डी, ऋषिकेश, जिला–देहरादून।

(बी0पी0कोठारी)
अनु सचिव /
लोक सूचना अधिकारी।

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)
दूरभाष : 0135-2670457, 2670998
टैलीफैक्स : 0135-2670920, 2678945
ई-मेल : sec.uttarakhand@gmail.com

पंजीकृत

सूचना का अधिकार

विधान सभा सचिवालय

उत्तराखण्ड

(सूचना का अधिकार)

संख्याः 2288/ वि0स0 / 58 / सू0 का अधि0 / 2018

देहरादून, दिनांक : 19 जुलाई, 2018

लोक सूचना अधिकारी,
निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

कृपया आवेदक श्री पंकज गुप्ता, 679, बनखण्डी, ऋषिकेश का सूचना आवेदन पत्र दिनांक 10.07.2018 जो इस सचिवालय में दिनांक 16.07.2018 को प्राप्त हुआ है, को आपको सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) की व्यवस्थानुसार इस आशय से अन्तरित किया जा रहा है कि आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना आपके विभाग से सम्बन्धित प्रतीत होती है।

कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः **उपरोक्तानुसार।**

श्री नयाल
24/7/18
(बी० पी० कोठारी)
अनु सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

भवदीय,

19/7/18

(मुकेश सिंघल)
वरिष्ठ शोध एवं सन्दर्भ अधिकारी / लोक सूचना अधिकारी।

संख्याः2288 / वि0स0 / 58 / सू0 का अधि0 / 2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः

1. श्री पंकज गुप्ता, 679, बनखण्डी, ऋषिकेश को इस आशय से प्रेषित कि सूचना इस कार्यालय में धारित नहीं है। सूचना लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड से सम्बन्धित प्रतीत होती है। तदनुसार आपका सूचना का अनुरोध पत्र मूल रूप में (पोस्टल आर्डर सहित) अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार अन्तरित कर दिया गया है।

   उपरोक्त संबंधित लोक सूचना अधिकारी से यदि आपको सूचना प्राप्त नहीं होती है, अथवा उनके द्वारा दी गई सूचना से सन्तुष्ट न हों, तो कृपया संबंधित कार्यालय के विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

Rec 1 PO NO 60D951
Rs-10/-
25/7/2018

(मुकेश सिंघल)
वरिष्ठ शोध एवं सन्दर्भ अधिकारी / लोक सूचना अधिकारी।

सेवा मे, दिनांक–10 जुलाई 2018

लोक सूचना अधिकारी

निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड

देहरादून

विषय–सूचना के अधिकार अधीनियम 2005 के तहत सूचना की मांग

महोदय,

आवेदक को वृहत जनहित में निम्न सूचनाएं प्रदान करें

1–

आवेदक को आदेश सं0 76 / उत्तराखण्ड विधान सभा / 2012(6) दिनांक 07–12–2016 जो विधान सभा आम चुनाव 2012 के चुनाव में हुए खर्च का ब्योरा न जमा करने के कारण अनर्ह घोषित की है की प्रमाणित प्रति प्रदान करे।

2– आदेश सं0 76 / उत्तराखण्ड विधान सभा / 2012(6) दिनांक 07–12–2016 जो विधान सभा आम चुनाव 2012 के चुनाव में हुए खर्च का ब्योरा न जमा करने के कारण अनर्ह घोषित व्यतियों में से किसी व्यक्ति को आदेश जारि होने के उपरान्त उक्त आदेश को संशोधित करते हुए यदि किन्ही नियमों उपबन्धो का पालन करते हुए अनर्ह को अर्ह (पूनः योग्य) घोषित किया हो तो उनकी सूची तथा प्राप्त आवेदन अपील या अन्य दस्तावेज जिसके कारण अनर्ह को अर्ह घोषित किया हो की सम्पूर्ण कार्यवाही तथा आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराए।

3–आम चुनाव विधान सभा उत्तराखण्ड 2012 में विधान सभा 24 ऋषिकेश में प्रत्याशी रहे श्री दीप शर्मा जिन्होने अपने खर्च का ब्योरा दिनांक 26–12–2016 तक जमा नहीं किया था जिन्हे आदेश सं0 76 / उत्तराखण्ड विधान सभा / 2012(6) दिनांक 07–12–2016 द्वारा चुनाव लड़ने से प्रतिबन्धित किया था तथा एक आर0टी0आई0 में उक्त आवेदन की प्रतिलिपी प्राप्त है जो श्रीमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड देहरादून को सम्बोधित है पर हुई कार्यवाही निणय की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराए।(छाया प्रति संलग्न)

4–पूरे उत्तराखण्ड में पिछले तीन विधान सभा स्थानिय निकाय पंचायत चुनाव में भाग लेने वालो को जिन्हे धारा 10 के प्रवधानो का प्रयोग कर अनर्ह घोषित किया गया हो और धारा 11 का प्रयोग करते हुए उन अनर्ह घोषित व्यतियों को अर्ह घोषित किया उनकी सूची प्रदान करें।

5– आम चुनाव विधान सभा उत्तराखण्ड 2012 में विधान सभा 24 ऋषिकेश में प्रत्याशी रहे श्री दीप शर्मा जिन्होने अपने खर्च का ब्योरा दिनांक 26–12–2016 तक जमा नहीं किया था जिन्हे आदेश सं0 76 / उत्तराखण्ड विधान सभा / 2012(6) दिनांक 07–12–2016 द्वारा चुनाव लडने से प्रतिबन्धित किया था 26–12–2016 को एक आवेदन दिया था (छाया प्रति संलग्न) की मय संलग्नकों प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराए।

नोट– फीस हेतु 10रु का पो0आ0 स0688951 संलग्न है।

पंकज गुप्ता

679 बनखण्डी

ऋषिकेश

सेवा में,

श्रीमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय,
निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय : आदेश संख्या 76/उत्तराखण्ड विधानसभा/2012(6), दिनांक 07-12-2016 के सम्बन्ध में।

महोदय,

मैं दीप शर्मा पुत्र स्व0 श्री दौलत राम शर्मा, निवासी 16-डी, तिलक रोड, ऋषिकेश, जिला देहरादून-उत्तराखण्ड विधानसभा-24 ऋषिकेश से वर्ष 2012 में चुनाव लड़ा था। चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का प्रार्थी द्वारा पूरी गम्भीरता एवं ईमानदारी से पालन किया गया तथा चुनाव व्यय से संबंधित ब्यौरा निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत ही जमा करा दिया गया था। लेकिन उपरोक्त आदेश प्राप्त करने पर मुझे ज्ञात हुआ कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मुझे चुनाव लड़ने के लिए 03 वर्षों तक प्रतिबन्धित किया गया है। जिसका कारण चुनाव लेखा को विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहने के कारण निरर्हित घोषित किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रार्थी का यह कहना है कि इस सम्बन्ध में प्रार्थी को दिनांक 06-05-2016 को एक नोटिस प्राप्त हुआ, जिसका उत्तर देने में प्रार्थी असमर्थ रहा, जिस कारण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपरोक्त आदेश संख्या 76/उत्तराखण्ड विधानसभा/2012(6), दिनांक 07-12-2016 के द्वारा मुझे चुनाव लड़ने से प्रतिबन्धित किया गया।

महोदय, प्रार्थी द्वारा उपरोक्त नोटिस का जवाब न देने पर अपनी भूल को स्वीकार करते हुए प्रार्थी उसके लिए क्षमा याचना करता है। आपके नोटिस दिनांक 23-02-2015 के टेबल 1 जिसमें वाहन, जनरेटर, प्रचार सामग्री, दिनांक

जारी 2/

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा जो स्पष्टीकरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं एवं चुनाव का व्यय ब्यौरा एवं चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित व्यय ब्यौरा, चुनाव लड़े जाने के लिए निर्धारित व्यय सीमा के अन्तर्गत है। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे विरूद्ध दिये गये आदेश संख्या 76/उत्तराखण्ड विधानसभा/2012(6), दिनांक 07—12—2016 को निरस्त कर उपरोक्त भिन्न—भिन्न कारणों के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण मे प्रस्तुत आदेश को धारा 11 के अन्तर्गत निरस्त करने की कृपा करे।

प्रार्थी

दिनांक : 26—12—2016

(दीप शर्मा)

पुत्र स्व0 श्री दौलत राम शर्मा,

निवासी 16—डी, तिलक रोड, ऋषिकेश,

जिला देहरादून—उत्तराखण्ड (विधानसभा—24)

संलग्नक—

1. स्वं प्रमाणित प्रतिलिपि पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, का खर्चा ब्यौरा।
2. प्रत्यावेदन, श्रीमान उपायुक्त महोदय, भारत निर्वाचन आयोग, दिल्ली।
3. शपथपत्र की छायाप्रति, प्रार्थी- दीप शर्मा, समक्ष श्रीमान उपायुक्त महोदय, भारत निर्वाचन आयोग, दिल्ली।

प्रतिलिपि—

1. जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला देहरादून—उत्तराखण्ड।

(दीप शर्मा)

दह टका दश टाका दस रुपिया ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ... பத்து ரூபா दहा रुपये ... दस रुपये दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

जारी करने वाले डाकघर की तारीख सहित मुहर
ISSUING OFFICE STAMP WITH DATE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO ____________________

दस रुपए की रक़म THE SUM OF RUPEES TEN ONLY को

₹10

AT THE POST OFFICE AT ____________________ के डाकघर में अदा करें ।

भुनाने वाले डाकघर की तारीख सहित मुहर
PAYING OFFICE STAMP WITH DATE

सत्यमेव जयते

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दें ।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

37F 688951